



ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या-01, सेक्टर-नॉलेजपार्क-4, ग्रेटर नोएडा
जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: नियो0/2020/बी.ए.- ^{Plot-346} /1146

दिनांक 17/02/2020


सेवा में,

Mrs. Anita Devi
Plot No-346, Sector-Ghori Bachera
Greater Noida

महोदय,

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि आबादी या 6 प्रतिशत आबादी **Ghori Bachera** में भूखण्ड संख्या-346 पर भवन के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/परिवर्तन/ध्वस्तीकरण सम्बन्धी कार्य लाइसेंस प्राप्त तकनीकी व्यक्ति, **Mr. Anand Tripathi** पंजीकरण संख्या -AM112537-3 के पर्यवेक्षण में कार्य पूरा किया गया है, उसका निरीक्षण प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा किया गया है। संरचनात्मक सुरक्षा, जो सम्बन्धित तकनीकी कार्मिक द्वारा प्रस्तुत संरचनात्मक उपयुक्तता प्रमाण पत्र और समापन प्रमाण पत्र पर आधारित है। आन्तरिक और आस पास की स्वास्थ्य और स्वच्छता की दशा का सम्बन्ध है, भवन सभी प्रकार से भवन विनियमावली की अपेक्षाओं के अनुरूप है। निर्मित भवन के अध्यासन प्रमाण पत्र निम्न शर्तों पर जारी किया जा रहा है:-

1. प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति मानचित्र के विरुद्ध निर्मित भवन में कोई परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा।
2. प्राधिकरण द्वारा किसी सुविधा/विकास/सुधार हेतु शुल्क की माँग की जाती है तो उसका भुगतान करना होगा।
3. मानचित्र की एक प्रति सदैव भूखण्ड स्थल पर रखनी अनिवार्य होगी, ताकि प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी द्वारा माँगे जाने पर दिखायी जा सके।
4. विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र व पट्टा प्रलेख में विहित नियम व शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. गेट सुविधा मार्ग पर खुलेगा, मुख्य मार्ग पर सीधा प्रवेध निषेध है।
6. सड़क पर कोई भी वाहन खड़ा करना निषेध है।
- 7- मानचित्र केवल स्वयं के आवासीय हेतु वैध है। गेस्ट हाउस/वाणिज्यिक अथवा अन्य अनुमत्य नहीं है।
8. भूखण्ड के बाहर हरित पट्टी की देखभाल करना होगा।

भवदीय

वरिष्ठ प्रबंधक (वास्तु0)

प्रतिलिपि:- महाप्रबन्धक(परियोजना) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


वरिष्ठ प्रबंधक (वास्तु0)

